न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 06 / 2025 दायर दिनांकः 03.01.2025

उनवान

1. भैरूलाल आयु वर्ष पुत्र दुर्गालाल जाति ब्राहम्ण निवासी पटना तहसील अटरू जिला बांरा (राज.)
2. कान्तिबाई आयु वर्ष पुत्री दुर्गालाल जाति ब्राहम्ण निवासी पटना तहसील अटरू जिला बांरा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र जमनालाल जाति ब्राहम्ण निवासी पटना हाल मुकाम इटावा तहसील इटावा जिला कोटा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री लोकेश गुर्जर
अप्रार्थीगण :— स्वयं

निर्णय दिनाकः 27.08.2025

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण के शामलाती कब्जे काश्त एंव स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम एंव माल पटना तहसील अटरू में खाता सं 256 के खसरा नं 91 का रकबा 1.64 हे0 कुल किता 1 का रकबा 1.64 हे० शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थीगण का नाम प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में सहवन से भैरूलाल पुत्र दुर्गालाल के स्थान पर भैरूलाल पुत्र धन्नालाल एवं कान्तिबाई पुत्री दुर्गालाल के स्थान पर कान्तिबाई पुत्री धन्नालाल अंकित हो गया है जो कि गलत है प्रार्थीगण का सही नाम भैरूलाल पुत्र दुर्गालाल एवं कान्तिबाई पुत्री दुर्गालाल है जो कि उसके आधार कार्ड पहचान पत्र राशन कार्ड आदि दस्तावेजो में भी भैरूलाल पुत्र दुर्गालाल एवं कान्तिबाई पुत्री दुर्गालाल

नाम ही दर्ज है तथा ग्राम पंचायत पटना द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी भैरूलाल पुत्र दुर्गालाल एवं कान्तिबाई पुत्री दुर्गालाल नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण राजस्व कर्मचारिगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त करवा कर अपना नाम भैरूलाल पुत्र धन्नालाल के स्थान पर भैरूलाल पुत्र दुर्गालाल एवं कान्तिबाई पुत्री धन्नालाल के स्थान पर कान्तिबाई पुत्री दुर्गालाल दर्ज करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारिगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पुर्वक कार्य से नाम भैरूलाल पुत्र दुर्गालाल एवं कान्तिबाई पुत्री दुर्गालाल है जमाबन्दी में भैरूलाल पुत्र धन्नालाल एवं कान्तिबाई पुत्री धन्नालाल कर देने से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जमाबन्दी एंव अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नही करपा रहा है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से नाम दुरस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थाना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। आराजी ग्राम/माल पटना पटवार हल्का पटना तह० अटरू जिला बांरा (राज) में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किया जाता है ।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम एंव माल पटना तहसील अटरू में खाता सं 256 के खसरा नं 91 का रकबा 1.64 हे0 कुल किता 1 का रकबा 1.64 हे0 शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। आराजी में प्रार्थीगण का नाम भैरूलाल पुत्र दुर्गालाल एवं कान्तिबाई पुत्री दुर्गालाल दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा जवाब पेश कर कथन किया कि मैं वादी भैरूलाल के खातेदार में सहखातेदार हॅु। खाते में मेरे हिस्से को सुरक्षित रखते हुए अगर वादी शुद्विकरण कराना चाहता है तो मुझे कोई एतराज/आपत्ति नही है। अप्रार्थी क्रम 2 तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/758 दिनांक 28.03.2025 को शामिल फाईल किया गया।

साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र नोरंगीलाल पुत्र जमनालाल जाति ब्राहम्ण निवासी मूण्डला तहसील अटरू का पेश किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीगण की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल पटना पटवार हल्का पटना सम्वत 2075–78 खाता संख्या 256, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मूण्डला पटवार हल्का पटना सम्वत 2074–77 खाता संख्या 48, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत पटना प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, शपथ पत्र कान्ती बाई पुत्री दुर्गालाल, अशोक कुमार पुत्र बंशीलाल, भेरूलाल पुत्र दुर्गालाल व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तहसीलदार के अवलोकन के आधार पर ग्राम एंव माल पटना तहसील अटरू में खाता सं 256 के खसरा नं 91 का रकबा 1.64 हे0 कुल किता 1 का रकबा 1.64 हे० भूमि में सहखातेदार भैरूलाल पुत्र धन्नालाल के स्थान पर भैरूलाल पुत्र दुर्गालाल व कान्ति बाई पुत्री धन्नालाल के स्थान पर कान्ति बाई पुत्री दुर्गालाल किये जाने पर खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन होना प्रतीत होता है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जा सकता। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट खारिज फरमाया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां